महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी
पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, दूसरी मंजिल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई -४०० ००१
इमेल: mhhindiacademy@gmail.com दुरभाष : ०२२- २२६७ २५३९.

ब) पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान योजना

योजना का उद्दिष्ट :

गुजराती भाषा में दर्जापूर्ण लेखन को बढ़ावा देना तथा गुजराती साहित्यिकारों की कृतियों को प्रकाशित करना ओर साहित्य सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना स्वरुप, पात्रता नियम :

- साहित्यिकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णत: तपशील आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियां स्वच्छ हस्तलिखित / टंकणित रुप में भेजना आवश्यक है ।
- साहित्यिकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है ।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाव्दारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी। प्रकाशन की अवधि प्रकाशन संस्थाव्दारा प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में करना आवश्यक है ।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियां विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ निम्नलिखित संदेश गुजराती भाषा में प्रकाशित करना अनिवार्य है ।

> **इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी के 'पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना' के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया जा रहा है ।**

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे गुजराती साहित्यिकार इस योजना तहत पात्र होंगे। (१५ साल का अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है।) और उनकी १ पुस्तक को अनुदान प्रदान किया जाएगा ।
- शासन की इस योजनांतर्गत एक बार लाभ मिलने पर साहित्यकार को अगले ५ साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

- इस योजनांतर्गत प्रकाशित होनेवाली किताब को किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार का कोई भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा ।
- यह अनुदान केवल मूल(Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा । पुर्न:मुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा ।
- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकीद पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए गुजराती साहित्य अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्रव्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपि वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखित वाङ्मय प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
  - लघुकथा, नवलकथा, कविता, नाटक, ललित साहित्य, बालसाहित्य अनुवाद, नवोदित साहित्य. आदि।

<u>अनुदान का स्वरुप :</u>

- अकादमी की समितिद्वारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यिकार द्वारा जोड़े हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित खर्च की ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरुप में प्रदान की जाएगी ।